

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं०सं०-05/स्था०(आरोप)-33/2010...6518.../परि०

पटना, दिनांक 27/11/14

श्री दारोगा प्रसाद यादव, जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय के विरुद्ध उनके कार्यालय में दलालों/विचौलियों द्वारा की जा रही अवैध कमाई पर रोक नहीं लगाने पर, कार्यालय पर उचित नियंत्रण नहीं रखने पर, वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने तथा कर्तव्य पालन में शिथिलता बरतने के आरोप प्रतिवेदित किए गए थे।

उक्त आरोपों के संबंध में श्री यादव से प्राप्त स्पष्टीकरण तथा उनके स्पष्टीकरण पर जिला पदाधिकारी, बेगूसराय प्राप्त मंतव्य के आलोक में विचारोपरान्त उन्हें भविष्य के लिए अपने कर्तव्य के प्रति सतर्कता बरतने का आदेश दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 27/11/14

निबंधित/ई-मेल

ज्ञापांक - 05/स्था०(आरोप)-33/2010 6518

प्रतिलिपि:- अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजकीय राजपत्र के प्रकाशनार्थ प्रेषित/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/जिला पदाधिकारी, सहरसा/संयुक्त आयुक्त-सह-क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर/श्री दारोगा प्रसाद यादव, जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय/माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी/आई० टी० मैनेजर कम्प्यूटर कोषांग/प्रभारी सहायक स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना